

8. Sovereignty — Meaning and characteristics.

संप्रभुता — अर्थ तथा विशेषता (लक्षण)

उत्तर: — संप्रभुता (जब की आवश्यक लक्षण है। संप्रभुता (जब की एक ऐसी विशेषता का सूचक है जिसके द्वारा (जब की अन्य समुदायों या लोगों से) मिली समझी जाता है। इसके द्वारा (जब की) निवासियों में एकता की भावना का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि वे सब एक ही राष्ट्र (सर्वोच्च शास्त्री) के अधीन एक ही एकता का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि (जब की) शासन के अन्तर्गत के साथ-साथ संप्रभुता संबंधी विचारों का अन्तर्गत में आवश्यक है। जाता है। यही यह उल्लेखनीय है कि संप्रभुता के अर्थ एवं परिभाषा का विवेचन करने से पहले हम इसके विकास का एक संक्षिप्त अध्ययन कर लें।

Sovereignty शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द *superannus* (सुपरानस) से हुई है जिसका अर्थ सर्वोच्च शास्त्री होता है। (जनीने शास्त्र में) संप्रभुता का अर्थ (जब की) सर्वोच्च शास्त्री के होता है। संप्रभुता के दो पहलू होते हैं — आन्तरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता।

आन्तरिक संप्रभुता का अर्थ यह है कि निश्चित प्रदेश में (जब की) एक ऐसी सर्वोच्च शास्त्री होती है जो सब व्याप्तियों अथवा व्याप्तियों के समूह से ऊपर है। (जब की) अपनी आज्ञा का पालन उन सबसे करा जाता है। व्याप्तियों अथवा व्याप्तियों के समूह अथवा समुदायों की ऐसी कोई कानूनी आधिकार प्राप्त नहीं है। (जब की) कि वह उसी आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य कर सके या उसके विरुद्ध कोई अपील कर सके।

जहाँ तक (जब की) बाहरी संप्रभुता का सवाल है तो बाहरी संप्रभुता से पालन (जब की) उस सर्वोच्चता से है जिसके द्वारा उसी देश की बाहरी क्षेत्र में। (जब की) अन्य (जब की) अधीन नहीं होती अर्थात् उसे इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि यह दूसरे (जब की) (विदेशों) से जैसे-जैसे संबंध स्थापित करे चाहे वह अन्य (जब की) देश से मैत्री संबंध स्थापित करे या युद्ध के संबंध स्थापित करे अथवा वह उसके प्रतिपक्ष नीति का अनुसरण करे।

Sovereignty is the Supreme power of the State over citizens and subjects unrestrained by law! — Bodin

सम्प्रभुता के इन दोनों पहलुओं की दृष्टि में
 एक ही दृष्टि सम्प्रभुता की इस प्रकार से परिभाषित किया
 जा सकता है। कि सम्प्रभुता (जब की वह सर्वोच्च शक्ति
 है जिसके द्वारा (जब की निश्चित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित
 सभी व्यक्तियों को समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण लगा
 जाता है और जिसके आधार पर एक (जब अपने ही)
 लक्ष्य दूसरे (जब के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध
 स्थापित कर सकता है।

सम्प्रभुता की परिभाषा निम्न-निम्न
 विद्वानों ने निम्न-निम्न लक्ष्य है की है। प्रोफेसर
 विचारक बोका ने इस शब्द की सबसे पहले प्रयुक्त
 किया और उसके अनुसार "नागरिकों एवं प्रजाजन
 के ऊपर (जब की सर्वोच्च शक्ति के रूप में की
 जिसपर शक्ति का कोई अनुमान नहीं है" ग्रीशीमस
 के अनुसार - "उस व्यक्ति का है निम्न सर्वोच्च
 पतनीय शक्ति के रूप में की जिसके द्वारा अन्य किसी
 पर अधिकार स्थापित नहीं है तथा जिसकी इच्छा का
 उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।" विलोकी के
 अनुसार - "सम्प्रभुता (जब की सर्वोपरि इच्छा होती है।

सम्प्रभुता की विशेषता:-

सम्प्रभुता की विशेषता निम्नलिखित है।—

1. स्थायित्व (Permanence):-

स्थायित्व सम्प्रभुता का महत्वपूर्ण
 विशेषता (लक्षण) है जब एक (जब विद्यमान रहता है
 उसकी प्रमुख शक्ति भी विद्यमान रहती है और यह
 बात सभी प्रकार के (जब के विषय में तथा सभी
 के लिए लागू है। यद्यपि प्रमुख शक्ति का प्रयोग
 करने वाला बदल सकता है लेकिन प्रमुख शक्ति
 पूर्ण होती है। आधुनिक युग में जब (जब की
 सभी लोकतंत्रात्मक और प्रमुख शक्ति का निवास जनता
 में माना जाता है। तो वह स्थाई होती है।
 लोकतंत्रात्मक (जब में प्रायः समारोह बदलती रहती है
 पर सकारण के इन परिवर्तनों से प्रमुख शक्ति के

स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह आणविक एवं स्थिर बनी रहती है लेकिन उसको प्रयोग करने वाला साधारण बदल जाती है।

2. अनन्यता (Exclusiveness):—

अनन्यता का अर्थ यह है कि (ज्य) के सब निवासी उस एक प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं और एक के आदेशित अन्य कोई प्रभु (ज्य) में नहीं ले सकता। यही यह उल्लेखनीय है कि सम्प्रभुता एक ही या अनन्य अनन्य होती है, और उसका अद्वैतवाद (monism) उसे सर्वोपरि बनाता है।

3. सर्वव्यापकता (All comprehensiveness):—

सर्वव्यापकता का तात्पर्य है कि (ज्य) के ^{संप्रभुता के} अन्तर्गत जो भी प्रदेश होते हैं, जो भी मनुष्य निवास करते हैं अथवा जो भी मानव समुदाय बने होते हैं सब पर संप्रभु शास्त्र का नियंत्रण रहता है। सर्वव्यापकता का अर्थ एक अपवाद नहीं जा सकता है और वह है (ज्य) के सम्प्रभुता का सिद्धान्त। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत अनेक दूलावास उस देश का संपूर्ण समझा जाता है, जिस देश का वह प्रातिगोच्यत्व करता है और दूलावास के क्षेत्र में उसी देश के अनुरण लायू होती है जिस देश का वह प्रातिगोच्यत्व करता है लेकिन यह सिद्धान्त सम्प्रभुता की सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं बना अन्तरीष्ट्रीय विश्वेश्वरता और सौजन्यता के आधार पर एक (ज्य) का दूसरे (ज्य) को दिव्य गण विशेष सम्मान है। यही कारण है कि (ज्य) की सम्प्रभुता शास्त्र के सर्वव्यापक कहा जाता है और सर्वव्यापकता इसका एक मुख्य पक्ष है।

4. अप्रत्यक्षणीयता (Inalienability):—

अप्रत्यक्षणीयता का तात्पर्य यह है कि सम्प्रभुता एक ऐसी वस्तु है जिसे (ज्य) से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यदि इसे (ज्य) से पृथक् कर दिया जाय तो (ज्य), (ज्य) नहीं रह सकता अथवा ऐसा नहीं कर सकता है कि बिना अपने को

नष्ट क्रिये (जसे प्रमुख शक्ति के कर्ण से प्रथक नहीं कर
सकती। प्रमुख शक्ति वस्तुतः (जसे के प्राण के समान ही) ऊपर
पहले से उसे (जसे लपी शरीर से प्रथक क्रिया ही नहीं कर
सकता और यदि उसे प्रथक कर आ देखा जाये तो परिणाम
मलज (जसे लपी शरीर का अन्त हो जाएगा) यदि (जसे
का विभाजन होना है या सीमाओं में परिवर्तन होना है) अथवा
एक (जसे दूसरे (जसे में मिल जाते हैं तो संप्रभुता शक्ति
(जसे से प्रथक नहीं होती, बावजूद उसके प्रयोगकर्ता बल्लू जाते
जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संप्रभु शक्ति (जसे से
तभी प्रथक की जा सकती है जब (जसे सदा के लिए विनाश
का नष्ट हो जाये तो उसे अप्रथक (लीप माना जाता है।

5. अविभाज्यता (Indivisibility):—

सम्प्रभुता का एक
अन्य विशेषण अविभाज्यता है इसका अर्थ है कि संप्रभु
शक्ति का विभाजन नहीं हो सकता। यदि कोई चाहे कि संप्रभु शक्ति
का विभाजन करे उसके प्रयोग (एक स्थान पर कनेक समाचारियों
द्वारा से करे, ऐसा करने से सम्प्रभुता के कर्ण अनेक समानान्त
उत्पन्न हो जायेंगे और सम्प्रभुता की उक्त विशेषता का नाश हो
जाएगा। जैसे पूर्वोक्ति— कहे जाता है यही कारण है कि
सम्प्रभुता की अविभाज्यता माना जाता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संप्रभु
शक्ति की अविभाज्यता से अनेक विचार उद्भवित भी हैं।
अन्तर्देशीय शक्ति के अनेक लेखकों ने (अनेक (जसे जैसा
अद्वैतत्व (जसे की चर्चा की है और पूर्ण सम्प्रभुता सम्भव
नहीं होनी अमेरिका के संयुक्त (जसे के संविधान
निर्माताओं ने संप्रभु शक्ति की विभाज्यता का प्रतिपादन
क्रिया हेतु और उक्त (जसे के उमुख संपन्न मानते हुए
जिन्होंने मिलकर संघ का निर्माण किया है।